



146
23.7.19



3
1300

न्यायालय अपजिलाधिकारी मोहनलालगज लखनऊ
 नकल आदेश दिनांक : 22.07.2019 बाबत बाह्र-अक्रमा :
 T201910460310229 रायल ओशियन इण्डिया इन्फोर्मे
 प्रा. लि. कनाम सरकार अ. बारा - 80 उ. प्र. राजान मदि
 8006 ग्राम : सिवौली कला परगना व तहसील - मोहनल
 - गंज जिला - लखनऊ

प्रमोणी परान्त कोलियो निराल किया जाता है, कोलिकोपी
 संलग्न है।



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मकसद : सखनऊ, जगमद, शरभनऊ, तहसील मोहनलालगंज

तार संख्या :- 10229/2019

कंप्यूटरकृत तार संख्या :- 7201910460310229

राज्य अधिवेशन इच्छिया इन्फार्मेटिक प्रोटिओ ब्रानाग सरनाग

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

गाम-सिठौलीकला

निर्णय

प्रस्ताव तार की कार्यवाही पारस अधिवेशन इच्छिया इन्फार्मेटिक प्रोटिओ द्वारा निदेशक राजगणि याचक पुत्र राजरस याचक नियामी 1/200 दिनांक 2006-1 मोहलीनगर लखनऊ के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उपधारास्य संहिता-2006 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें अपगत करवा गया है कि यादीय भूमि खाता संख्या-237 की गाटा संख्या-84/0.62680 में से रकम 0.126 हे० व गाटा संख्या 85/0.790080 में से रकम 0.12680 व खाता संख्या 4-2 की गाटा सं 83/0.198 हे० में से रकम 0.09980 व खाता संख्या 506 की गाटा संख्या 101/0.35480 में से रकम 0.07880 व खाता संख्या 519 की गाटा सं 87/0.19080 में से 0.121 हे० व खाता संख्या 576 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा संख्या 85/0.33180 में से रकम 0.08880 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का संकल्पनीय भूमिगत संहिता न कारिज सखनऊदार दर्ज है। जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि आयासीय प्रयोग में लाई जा रही है जिस पर वर्तमान समय में आयासीय नरिधिसिया विद्यमान है। इसके पर एक कगना व बाउन्दीवाल बना हुआ है। जवस भूमि पर कृषि कार्य, कुम्हट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी व किसी प्रकार कृषि का कार्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए यादीय भूमि खाता संख्या-237 की गाटा संख्या-84/0.62680 में से रकम 0.126 हे० व गाटा संख्या 101/0.35480 में से रकम 0.07880 व खाता संख्या 519 की गाटा सं 87/0.19080 में से 0.121 हे० व खाता संख्या 576 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा संख्या 85/0.33180 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ को अक्षुण्ण किया गया।

प्रस्ताव प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी आख्या में अन्तर्गत करवा गया है कि प्रस्ताव यादीय भूमि खाता संख्या-237 की गाटा संख्या-84/0.62680 में से रकम 0.126 हे० व गाटा संख्या 85/0.790080 में से रकम 0.12680 व खाता संख्या 4-2 की गाटा सं 83/0.198 हे० में से रकम 0.09980 व खाता संख्या 506 की गाटा संख्या 101/0.35480 में से रकम 0.07880 व खाता संख्या 519 की गाटा सं 87/0.19080 में से 0.121 हे० व खाता संख्या 576 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा सं 85/0.33180 में से रकम 0.08880 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का यादी संकल्पनीय भूमिगत के रूप में दर्ज है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत है। गाटा पूर्वमन्त्र एक्सप्रस वे व आउटर रिंग रोड से सम्बन्धित नहीं है। जवत गाटा के प्रस्ताव गाम पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आख्या में यादीय भूमि खाता संख्या-237 की गाटा संख्या-84/0.62680 में से रकम 0.126 हे० व गाटा संख्या 85/0.790080 में से रकम 0.12680 व खाता संख्या 519 की गाटा सं 87/0.19080 में से 0.121 हे० व खाता संख्या 576 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा संख्या 86/0.33180 में से रकम 0.08880 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ को अक्षुण्ण किया गया।

तार दर्ज कर पत्रवाली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्ताव उल्लिखित गाटा संख्या 85/0.790080 में से रकम 0.12680 व खाता संख्या 4-2 की गाटा सं 83/0.198 हे० में से रकम 0.09980 व खाता संख्या 506 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा सं 85/0.33180 में से रकम 0.08880 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ को अक्षुण्ण किया गया।

अतः यादीय भूमि खाता संख्या-237 की गाटा संख्या-84/0.62680 में से रकम 0.126 हे० व गाटा संख्या 85/0.790080 में से रकम 0.12680 व खाता संख्या 4-2 की गाटा सं 83/0.198 हे० में से रकम 0.09980 व खाता संख्या 506 की गाटा सं 90/0.31080 में से रकम 0.15180 व खाता संख्या 745 की गाटा सं 85/0.33180 में से रकम 0.08880 कुल सात किया रकम 0.78780 स्थित ग्राम सिठौलीकला परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ को अक्षुण्ण किया गया।

अतः आदेशक का कार्यवाही पत्रवाली संहिता अधिनियम 80, 2006 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार को अन्तर्गत आख्या नथ नदारी नथवा अक्षुण्ण अक्षुण्ण के साथ रखायाे। जिसमें उन गाटा के जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जितके अन्तर्गत राज्य पालन एवं कुम्हट पालन के प्रस्तावों के लिए काम में रहे हैं, अलग-अलग रागों में रखायें। खाते में प्रत्येक भाग के लिए देय महापुजारी का भी विभाजन किया जावे कि नरिधिसिया नथवा और भूमि के नरिधिसिया उपयोग के आधार पर समय प्रकल्पित गाम की हस्तबन्दी कारवाही पत्रवाली संहिता अधिनियम 80, 2006 के अन्तर्गत किया जावे।

तार संख्या 22.07.19 दिनांक 22.07.19

आदेशक का कार्यवाही पत्रवाली संहिता अधिनियम 80, 2006 के अन्तर्गत किया जावे।